संख्या:16/2025/08बीपी/35-1-2025/35-1099/52/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 21 मार्च,2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत दुग्ध विकास विभाग की परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत दुग्ध विकास विभाग की **जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रति दिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लान्ट की स्थापना** से सम्बन्धित परियोजना की रू. 5673.72 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 5598.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिये आई0डी0एम0सी0 कार्यदायी संस्था होगी:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/08/2015-एग्री.एफटीएस 2838 दिनांक 30 मई, 2018 एवं पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/02/2017-एग्री.(पार्ट)ई18361 दिनांक 29 फरवरी,2024 द्वारा लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।
2. उपरोक्त परियोजनाओं हेतु उपलब्ध हुई धनराशि एवं कार्य योजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को उनके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।
3. प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त आय व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 एवं 24 अप्रैल,2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशासकीय विभाग/पी0सी0डी0एफ0 का यह दायित्व होगा कि निर्गत होने वाली धनराशि का उपयोग केवल प्रायोजना के निर्माण हेतु स्वीकृत कार्यमदों पर ही किया जाय तथा इस धनराशि का उपयोग कतिपय अन्य मदों में न किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमावधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8. प्रश्नगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्धारित समयावधि में समस्त यथावश्यक वैधानिक एवं प्रशासकीय औपचारिकताएं पूर्ण कर पारदर्शी माध्यम से शीघ्रता से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. प्रशासकीय विभाग द्वारा (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024- 231/2024, दिनाँक 19 जून, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रशासकीय विभाग द्वारा इस कार्य हेतु पूर्व में निर्गत धनराशि का मय ब्याज राजकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं।
11. प्रश्नगत कार्य हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च,2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च,2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
12. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
13. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
14. कार्य स्थल पर इन्हें बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
16. कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो।
17. प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
18. परियोजना में रखे गये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दुग्ध विकास विभाग पूर्णत: उत्तरदायी होगा तथा कार्यों से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
19. दुग्ध विकास विभाग द्वारा समय समय पर कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध विकास विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथाशीघ्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
22. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्टि ओवर रन न हो। अत: इस सम्बजन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
23. प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना सेल्फ सस्टनेबल/क्रियाशील रहे, इस हेतु विभाग द्वारा एक्शन प्लान बनाया जाये। परियोजना का निर्माण कार्य बुन्देलखण्ड पैकेज की निर्धारित अवधि जून, 2025 में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
24. प्रायोजना आगणन में निर्माण कार्यों की लागत पर 05 प्रतिशत की कमीं के उपरान्त 12.50 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज प्रस्तावित किया गया है। वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार सेन्टेज केवल राजकीय कार्यदायी संस्थाओं हेतु अनुमन्य है, अत: इसे अनुमन्य नहीं किया गया है।
25. प्रायोजना की कुल लागत का 1.00 प्रतिशत आकस्मिक व्यय अनुमन्य किया गया है।
26. आगणन में प्रस्तावित थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल एवं इन्सपेक्शन का औचित्य स्पष्ट न होने के कारण अनुमन्य नहीं किया गया है।
27. प्रायोजना की अनुमोदित लागत में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
28. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
29. प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजनाओं के निर्माण एवं संचालन हेतु सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ताकि डेयरी के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई एवं रूकावट न हो।
30. प्रायोजना प्रस्ताव में प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत एवं कतिपय अन्य कार्यमदों हेतु लागत बजटरी आफर / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त की जायेंगी। प्रायोजना में प्रस्तावित दरों को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया हैं, इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 55,98,00,000.00 (रूपये पचपन करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-**4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-13 जनपद बांदा में दुग्धशाला का निर्माण (के.100/रा.00-के.)-24 वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-5-192-X-2024-25 दिनांक: 21 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:16/2025/08बीपी(1)/35-1-2025/35-1099/52/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/ सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, बांदा।
8. मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।